No.3/12/97-Estt.(Pay. II) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel and Training) ********

New Delhi, the 8#March, 1999

t

CORRIGENDUM

Subject:- Applicability of Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1997 to persons re- employed in Government service after retirement and whose pay is debitable to civil estimates.

The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum of even number dated 19th November 1997, on the above subject and to say that for para 4 thereof the following may be substituted:-

"When a re-employed Government servant elects to draw his pay in the existing scale and opts to be brought over to the revised scale from the date of increment falling during calendar year 1996, his pay from the date of increment in the revised scale shall also be fixed in accordance with the provisions of Rule 7 of CCS (RP) Rules, 1997."

(J. Wilson) Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/ Departments of the Government of India (As per standard list).

्रोडया'-3/12/97-स्थाठ वितन-11

भारत सरकार धार्मिक, लोक-पिकायत तथा पेशन मेत्रालय हकार्मिक और प्रक्रिलण विभागहें

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च, 1999.

शुद्धि-मन

विषयः सेथा निवृति के परचात सरकारी सेवा में पुनर्नियुक्त व्यक्तियों पर जिनका बेतन सिविल प्राकलन से लिया जाता है केन्द्रीय सिविल सेवार हैसंशोधित बेतनहें नियमावली 1997 का लागू किया जाना ।

अभोहरताक्षरी को उपयुक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 19 नवम्बर, 1997 के सम्संख्यक कांठ झांठ संख्या के सन्दर्भ में यह कहने का निवेश हुआ है कि परा 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जार :--

णब कोई पुनर्भियुक्त सरकारी कर्मचारी विद्यमान वेतनमान में अपना वेतन लेना चाहता है तथा कलेण्डर वार्घ 1996 के वौरान पहने वाली वेतन वृद्धि की तार जि से संग्री धित वेतनमान में वेतन लेने का विकल्प वेता है तो उसका वेतन संग्री धित वेतनमान में वेतनबूधि की तारीख से केन्द्रीय सि विल सेवा हैंसंग्रीधित वेतनहैं - नियम, 1997 के नियम 7 के उपबन्धों के अनुकार ही नियत किया जारगा ।

> जिल्लाने हुने० विल्सनहें उप सचिव, भारत संरकार

होवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग हमानक सूची के अनुसारह